मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल-462004

क्रमांक:F.6/2/2004/नियम/चार भोपाल,दिनांक 18/05/2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर (मध्यप्रदेश)

विषय -अर्जित अवकाश का नगदीकरण एवं टर्मिनल लीव विषयक ।

राज्य शासन की सेवा में पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को अस्थायी शासकीय सेवकों के समान पुनर्नियुक्ति अवधि में अर्जित अवकाश की पात्रता होती है । यदि पुनर्नियुक्त शासकीय सेवक पुनर्नियुक्ति अवधि में अर्जित अवकाश का लाभ नहीं लेता है तो यह उसके अवकाश खातें में जमा होता है । वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1149-सी-आर/571/चार-आर-1 दिनांक 18.5.60 के अनुसार पुनर्नियुक्त अवधि में अर्जित तथा खाते में जमा अवकाश का अवकाश वेतन पुनर्नियुक्ति के पश्चात टर्मीनल लीव के रूप में एक मुश्त स्वीकृत किया जाता है बशर्तें की पुनर्नियुक्त शासकीय सेवक ने पुनर्नियुक्ति की अवधि में अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किया हो । पुनर्नियुक्त अवधि में जितने दिन का अर्जित अवकाश का उपभोग किया गया हो उतने दिन देय अवकाश में से कम कर दिया जाता है ।

2 .इस संबध में यह प्रश्न विचाराधीन था कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1149-सी-आर/571/चार/आर/1 दिनांक 8.5.60 के अन्तर्गत पुनर्नियुक्त शासकीय सेवक के मामलें में टर्मिनल लीव की अधिकतम सीमा क्या हो इस संबध में विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नगदीकरण की सीमा तथा पात्रता निर्धारण संबधी निर्देश वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार दिनांक 8.1.91 तथा ज्ञापन क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार दिनांक 29.2.96 द्वारा प्रसारित किये गये हैं । उन निर्देशों के अनुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की जो सीमा आती है उस सीमा तक अर्जित अवकाश के नगदीकरण का लाभ यदि कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय ले लिया गया है तो पुनर्नियुक्ति /संविदा नियुक्ति की अवधि में जमा अर्जित अवकाश को टर्मिनल लीव के रूप में स्वीकृत नही किया जाएगा । यदि वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप दिनांक 8.1.91 तथा 29.2.96 के अनुसार निर्धारित सीमा तक अर्जित अवकाश समर्पण कर नगदीकरण का लाभ संबधित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर नहीं मिला है तो पुनर्नियुक्ति /संविदा नियुक्ति अवधि में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण का लाभ उक्त सीमा तक टर्मिनल लीव के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) राज्य शासन की सेवा में पुनर्नियुक्त /संविदा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामले में भी इन अधिकारियों को लागू अवकाश नियमों के अनुसार सेवा के दौरान अधिकतम जितने दिन का अर्जित अवकाश नगदीकरण देय है और यदि सेवानिवृत्ति के समय उस सीमा तक अर्जित अवकाश नगदीकरण का लाभ ले लिया गया है तो पुनर्नियुक्ति की अवधि में जमा अर्जित अवकाश टर्मिनल लीव के रूप में देय नहीं होगा । अर्थात इन सेवाओं के अधिकारियों को लागू नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा तक अर्जित अवकाश नगदहकरण का लाभ यदि संबधित अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर नहीं मिला है तो ही पुनर्नियुक्ति अवधि में जमा अर्जित अवकाश नगदीकरण का लाभ उक्त सीमा तक टर्मिनल लीव के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है ।

(3) पुनर्नियुक्ति /संविदा नियुक्ति के समय अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण के संबंध में जो अधिकतम सीमाएं होगी वही लागू होगी,न कि जब शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हुआ था उस समय लागू सीमाएं ।

(ए.पी.श्रीवास्तव)
सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक F 6/21 2004/नियम/चार भोपाल दिनांक 18/05/2004

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
2. सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
7. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
10. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. रजिस्टार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इदौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
16. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी)मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।

20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश।
21. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
22. सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
23. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
24. सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
25. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
26. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
27. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
28. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
29. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
30. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
31. रजिस्टार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग